वित्त निर्देश 24/2013

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 167/एफ 2013-04-00020/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 27 मई, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।

विषयः- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1996 में संशोधन।

---000---

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1996 के नियम 10 (1) के प्रावधानानुसार ऐसे किसी भी पेंशनर को, जिसने उसकी पेंशन का एक भाग कम्यूट किया हो, उस मास के, जिसमें वह 75 वर्ष की आयु पूर्ण करता है या सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष पश्चात् जो भी पश्चातवर्ती हो, आगामी मास के प्रथम दिन को उसकी पेंशन का कम्यूट किया गया हिस्सा प्रत्यावर्तित हो जाएगा। यह प्रावधान इस आधार पर है कि शासकीय सेवक की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष होगी एवं सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात् पेंशन सारांशीकरण राशि एकमुश्त भुगतान की जाएगी। इस एकमुश्त राशि का समायोजन आगामी 15 वर्ष में पूर्ण हो जाता है।

2/ मूलभूत नियम-56 में किये गये संशोधनों के फलस्वरूप वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष, 62 वर्ष एवं 65 वर्ष है। साथ ही शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय पेंशनर वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 343/एफ-1003688/वित्त/नियम/चार/12 दिनांक 3.11.2012

द्वारा संशोधित नये कम्यूटेशन टेबल का लाभ उठाकर अपनी पेंशन का सारांशीकरण करना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि 15 वर्ष की अवधि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से संगणित की जाती है, तो उन्हें सारांशीकरण राशि का एकमुश्त भुगतान तो हो जाएगा, परंतु सारांशीकृत राशि अपेक्षाकृत कम समय में प्रत्यावर्तित हो जाएगी, जो उचित नहीं है।

3/ उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि **ऐसे किसी भी पेंशनर को, जिसने उसकी पेंशन का एक भाग कम्यूट किया हो, सारांशीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् आगामी मास के प्रथम दिवस को, उसकी पेंशन का कम्यूट किया गया हिस्सा प्रत्यावर्तित हो जाएगा।** इस हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1996 में किये गये संशोधन संबंधी अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न है। यह संशोधन दिनांक 27.5.2013 से प्रभावशील होगा।(राजपत्र)

(एस.के.चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 168/एफ 2013-04-00020/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 27 मई, 2013

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया नया रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आलोक कुमार राय)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 27 मई, 2013

क्रमांक एफ 2013-04-00020/वित्त/नियम/चार :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 10 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(1) ऐसे किसी भी पेंशनर का, जिसने उसकी पेंशन का एक भाग कम्यूट किया हो, सारांशीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् आगामी मास के प्रथम दिवस को, उसकी पेंशन का कम्यूट किया गया हिस्सा प्रत्यावर्तित हो जाएगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

27/5/2013

(एस0के0 चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

Government of Chhattisgarh
Finance & Planning Department
Mantralaya,
Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Raipur, dated 27 May, 2013

No. F- 2013-04-00020/Finance/Rules/IV :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1996, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,

for sub-rule (1) of rule 10, the following shall be substituted, namely :-

"(1) A pensioner who has commuted a portion of his pension shall have his commuted portion of pension restored from the first day of the following month after 15 years from the date of Commutation."

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

27/05/2013

(S.K. Chakraborty)
Deputy Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Finance Department